

254

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
UDYOG BHAWAN, TILAK MARG, JAIPUR.

Ref.No.RFC/F.PG-1(55)/702

Dated: 19.10.10

21

ORDER

In compliance of Principal Secretary, DOP, (Ka-3), Department, Govt. of Rajasthan circular No. P.2(157) DOP/K-3/97 dated 7.7.2010, it has been decided to constitute a committee of following officers to review the cases of employees who are under suspension for a period of more than three years in ACB cases :-

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1) Executive Director | - Convenor |
| 2) Executive Director(F) | - Member |
| 3) GM(D) | - Member |

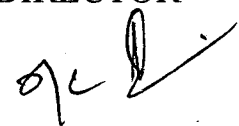
The committee shall review such cases on merits of each case and submit its recommendation. The committee shall meet as per need.



(G.S.SANDHU)

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Copy to:-



- 1) ED
- 2) ED(F)
- 3) GM(D)

200

1009

1990

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक: म.2 (137)कार्मिक/क-3/97

जयपुर दिनांक: 17 JUL 2000

समाप्त अति: मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव/विशेष शासन सचिव,
समस्त सम्मानीय आयुक्त एवं
समाप्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सचिव)

परिपत्र

विषय- लोक सेवकों के अपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के संबंध में निर्देश।

इस विभाग के सप्ताहिक परिपत्र दिनांक 10.8.2001 के क्रम में लोक सेवकों के निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के सम्बन्ध में प्रकरणों को स्वस्थित सभिति के समस्त पुनर्विलोकन किये जाने के शुद्ध्य में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. यह कि यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार विशेषक बुरों द्वारा रिहसत सेते हुए से हाथों शिरकावर किया जाये तो सम्बन्धित लोक सेवक को रिना किसी अपवाद के पुरख निलम्बित किया जाये।
2. उपरोक्त बिन्दु 1 में वर्णित मामलों (Pimp cases) के अलावा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सम्मस्त प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के साथ-साथ सम्बन्धित लोक सेवक को निलम्बित किया जाना अनिवार्य होगा, यदि सम्बन्धित लोक सेवक को पूर्व में ही निलम्बित न कर दिया गया हो।

3. भ्रष्टा, सबेरा गुरु (downy death), बलात्कार जैसे अपराध अपराधों (Grievous offences) एवं दैविक अज्ञानता (Moral Turpitude) से सम्बन्धित प्रकरणों में यदि पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में पालान प्रस्तुत कर दिया जाता है तो सम्बन्धित लोक सेवक को गुरुतः निलम्बित करना अनिवार्य होगा, यदि सम्बन्धित लोक सेवक को पूर्व में ही निलम्बित न कर दिया गया हो।

उपरोक्त सीनों प्रकार के प्रकरणों में लोण सेवक के सम्बन्ध में निलम्बन की दिशि से तीन वर्ष का सनय बहाली हो चुका हो एवं सम्पादन में सम्मन्ध भी प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो ऐसे मामलों के प्रकरण बहाली के सम्बन्ध में गहिर सभिति के सम्मन्ध एवं जाँचों और सभिति प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर बहाली हेतु अभिराजा करेगी।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रथम न्यायालय द्वारा किसी लोक सेवक को दोष प्रस्तात करे दिशत माना है तो ऐसे लोक सेवक को अलापरान्त निलम्बन से नकार कर दिया जाना चाहिए, यदि पाठ्य सरकार ने ऐसे प्रकरणों में न्यायालय के आदेश को विरुद्ध क्षपीत दावर भी कर दी हो।

प्रमुख शासन सचिव

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक परमपत्रादी हेतु अधित है :-
1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री/सचिव, मुख्य मंत्री राजस्थान, जयपुर।
 2. मंत्री सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
 3. महाविदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
 4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 6. सक्षित पत्रावली।

शासन एवं सचिव